भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2291

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

महिलाओं के लिए स्व-रोजगार को प्रोत्साहन

2291. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और युवाओं में स्वरोजगार, उद्यमशीलता और वेतनभोगी कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रोजगार के रूप में मान्यताप्राप्त कृषि/डेयरी क्षेत्र के श्रमिकों में महिलाओं का योगदान माना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य को आर्थिक महत्व दिया जाता है; और

(घ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2019-20 में 28.7% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया है। इसके अलावा, युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए अनुमानित डब्ल्यूपीआर 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पे-रोल डेटा से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। सितंबर 2017 से अगस्त, 2024 के दौरान, 7.03 करोड़ से अधिक अभिदाता, जिनमें से 1.50 करोड़ महिलाएं ईपीएफओ में शामिल हुई हैं, विशेष रूप से महिला श्रम बल के रोजगार के औपचारिकरण में वृद्धि का दर्शाती हैं।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, अनेक मंत्रालयों/विभागों ने महिलाओं एवं युवाओं सहित देश में रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें/उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

देश में महिलाओं और युवाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया, 'मुद्रा' (या प्रधान मंत्री सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी) योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाइज-किरण), एसईआरबी-पावर (खोजी अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), आदि को कार्यान्वित कर रही है।

महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****